मानवाधिकार रिपोर्ट 2020: अमेरिका

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वर्ष 2020 की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में कई मानवाधिकार मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

- प्रत्येक वर्ष अमेरिकी कॉन्ग्रेस को प्रस्तुत की जाने वाली इस रिपोर्ट में मानव अधिकारों के विषय में देशवार चर्चा की जाती है।
- इससे पहले मार्च 2021 में 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' रिपोर्ट में भारत की स्थिति को 'स्वतंत्र' से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया गया था।
- स्वीडन के 'वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी' संस्थान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 'चुनावी निरंकुशता' के रूप वर्गीकृत किया गया था।

प्रमुख बिंदु

पत्रकारों का उत्पीड़न

- सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग के माध्यम से सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और उनकी नज़रबंदी अभी भी जारी है, जबकि सरकार सामान्य तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान की बात करती है।
- इस रिपोर्ट में प्रेस पर प्रतिबंध, हिंसा, हिंसा की धमकी, या पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाए जाने का उल्लेख किया गया है।

निजी डेटा तक पहुँचना

- इंटरनेट कंपनियों द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के डेटा के लिये सरकार से किये गए अनुरोधों में नाटकीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2019 में फेसबुक से 49,382 उपयोगकर्त्ताओं से संबंधित डेटा का अनुरोध किया गया, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में गूगल और ट्विटर से किये गए अनुरोधों में क्रमशः 69 प्रतिशत और 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मनमानी के आधार पर जीवन की क्षति

- इस रिपोर्ट में तमिलनाडु में हिरासत में हुई मौतों के मामले को भी रेखांकित किया गया।

अनुचित नज़रबंदी

- रिपोर्ट में अप्रैल 2020 में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों और अन्य प्रदर्शनों में शामिल लोगों को हिरासत में लिये जाने के मामलों का भी उल्लेख किया गया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत राजनेताओं को नज़रबंद करने की भी बात की गई है।

जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति में सुधार

- रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने सुरक्षा और संचार प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त कर जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
  - सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया है, हालाँकि जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में वर्ष 2020 तक उच्च गति का 4G मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंधित था।

प्रतिबंधात्मक नियम और जाँच का अभाव

- रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में गैर-सरकारी संगठनों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम, राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध, सरकार में सभी स्तरों पर व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की उपयुक्त जाँच और जवाबदेही का अभाव तथा अनिवार्य बाल श्रम आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

धार्मिक स्वतंत्रता

- रपिोर्ट में धार्मकि स्वतंत्रता के उल्लंघन और धार्मकि संबद्धता या सामाजकि स्थतिि के आधार पर महलिाओं सहति तमाम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के साथ हसिा और भेदभाव आदि की भी बात की गई है।

भारत में मानव अधकिारों का प्रावधान

संवधिान में शामलि प्रावधान

- **मौलकि अधकिार:** संवधिान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलकि अधकिारों से संबंधति प्रावधान कयि गए हैं। इनमें समानता का अधकिार, स्वतंत्रता का अधकिार, शोषण के वरि‌ुद्ध अधकिार, धर्म की स्वतंत्रता का अधकिार, सांस्कृतकि और शैक्षकि अधकिार, कुछ वशिषि्ट कानूनों से सुरक्षा का अधकिार तथा संवैधानकि उपचारों का अधकिार आदि शामलि हैं।
- **राज्य के नीत-िनिर्देशक सद्धिांत:** इससे संबंधति प्रावधान संवधिान के अनुच्छेद 36 से 51 में कयि गए हैं। इनमें सामाजकि सुरक्षा का अधकिार, काम करने का अधकिार, स्वतंत्र रोज़गार चयन का अधकिार, बेरोज़गारी के वरि‌ुद्ध सुरक्षा का अधकिार, समान कार्य के लयि समान वेतन का अधकिार, मुफ्त एवं अनविार्य शक्षिा का अधकिार, समान न्याय एवं नशि‌ुल्क कानूनी सहायता का अधकिार आदि शामलि हैं।

सांवधिकि प्रावधान

- **मानव अधकिार संरक्षण अधनियिम, 1993** (जसिे वर्ष 2019 में संशोधति कयिा गया था) मानव अधकिारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधकिार आयोग, राज्य मानवाधकिार आयोग और मानवाधकिार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है।
  - अधनियिम की धारा 2(1)(d) मानवाधकिार को जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरमिा और समानता से संबंधति अधकिारों के रूप में परभिाषति करता है, जनिकी गारंटी भारतीय संवधिान द्वारा दी गई है अथवा जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन्स में सन्नहिति है, साथ ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं।
- भारत ने मानवाधकिारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रयि रूप से हस्सिा लयिा था।
  - इन 30 अधकिारों और स्वतंत्रता में नागरकि एवं राजनीतकि अधकिार जैसे- जीवन का अधकिार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता का अधकिार तथा आर्थकि, सामाजकि एवं सांस्कृतकि अधकिार जैसे- सामाजकि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शक्षिा का अधकिार आदि शामलि हैं।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/human-rights-report-2020-usa